(6)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर 174/2008

1. श्री बालूराम पुत्र रूपाराम दतक पुत्र ईसर राम जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू।

——वादी

बनाम

1. नन्दराम पुत्र रूपाराम जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू – मृतक
   1/1 श्रीमती मेवा पुत्री स्व. नन्दराम पत्नी बजरंग जाति मेघवाल निवासी कुलोदखुर्द तहसील व जिला झुंझुनू ।
2. श्रीमती सुरजी देवी धर्मपत्नी स्व. नन्दराम जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू
3. भंवर सिंह पुत्र नन्दराम जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू मृतक
   3/1 श्रीमती संतोष बेवा भंवर सिंह जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू
   3/2 विजेन्द्र पुत्र स्व. भवर सिंह जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू
   3/3 नरेश पुत्र स्व. भंवर सिंह जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुन
   3/4 राजेन्द्र पुत्र स्व. भंवर सिंह जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू
   3/5 सुभिता पुत्री स्व. भंवर सिंह जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू
4. जीवण पुत्र स्व. नन्दराम जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू
5. बजरंग पुत्र स्व. नन्दराम जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू
6. रोहिताश पुत्र स्व. नन्दराम जाति मेघवाल निवासी देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–
श्री इन्द्रजीत शर्मा, एडवोकेट – वादी की ओर से
श्री भगवान सिंह एडवोकेट – प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक :–21.03.2018

आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि मृतक ईश्वरराम की खातेदारी की जमीन खसरा नम्बर 159 तादादी 8 बीघा 16 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 161 तादादी 7 बीघा 16 बिश्वा तथा खसरा नम्बर 299 तादादी 7 बिश्वा वाके ग्राम देरवाला तहसील व जिला झुंझुनू में अवस्थित थी । जिसकी चतुर्सीमा वाद के पैरा 1 में वर्णित है । उक्त ईश्वरराम के कोई संतान नहीं हुई । ईश्वरराम ने अपने जीवनकाल में ही वादी को अपना गोद का लड़का मानकार अपने साथ रखना शुरू कर दिया था । ईश्वरराम के मरने के बाद उसके खातेदारी काश्त की जमीन की खातेदार काश्तकार उसकी बेवाव धानड़ी देवी व वादी बालूराम हुये । उक्त वर्णित जमीन की जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2015 में वादी बालूराम का उसकी माता मु0 धानड़ी बेवा ईश्वरराम की काश्त दर्ज है । उक्त खसरा नम्बर 159 व 299 व 161 की आगे की जमाबन्दी सं. 2029 से 2032 में उक्त खसरा नम्बर अकेले वादी की कब्जा काश्त में दर्ज है । उक्त इन्द्राज उक्त खसरा नम्बर की जमाबंदी सं. 2033 से 2036 तक व जमाबंदी सं. 2042 से 2045 तक व जमाबंदी सं. 2046 से 2049 तक में बदस्तुर दर्ज है । इसी प्रकार ग्राम देरवाला की गश्त गिरदावरी सं

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू

Scanned by CamScanner

(10)

2009 से 2012 में उक्त जमीन वादी के पिता ईश्वरराम की कब्जा काश्त में दर्ज है । इसके बाद उक्त खसरा नम्बर की गश्त गिरदावरी सं. 2013 से 2016, सं. 2018 से 2021, सं. 2016 स 2017 तक उक्त जमीन वादी की माता व वादी की कब्जा काश्त में दर्ज है । गश्त गिरदावरी सं. 2016 से 2039, सं. 2044 से 2045 व सं. 2046 से 2049 तक उक्त खसरा नम्बर की जमीन अकेले वादी की कब्जा व काश्त मे दर्ज है । इस प्रकार वादी वादग्रस्त जमीन का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार भी वादी बालुराम पुत्र ईश्वरराम इस जमीन का कदीमी खातेदार व काश्तकार है । अब नया सेटलमेन्ट होकर खसरा नम्बर 299 रकबा 7 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 368 रकबा 0.09 हैक्टर, पुराने खसरा नम्बर 159 तादादी 8 बीघा 16 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 393 रकबा 2.23 हैक्टर व पुराने खसरा नम्बर 161 तादादी 7 बीघा 16 बिश्वा के नये खसरा नम्बर 395 रकबा 1.97 हैक्टर कर दिये गये । नई जमाबंदी नये खसरा नम्बर की सं. 2062 जारी की गई । उसमें भी नये खसरा नम्बर 368, 393 व 395 के खातेदार वादी बालूराम पुत्र ईश्वरराम को दर्ज किया गया है । उपर वर्णित जमीन का वावदी खातेदार काश्तकार है । वादी ही इसे काश्त करता है तथा वादी का ही इस पर कब्जा है । प्रतिवादीगण संख्या में ज्यादा है तथा लड़ाकू प्रवृति के व्यक्ति है । प्रतिवादीगण लठ के जोर पर वादी की उपर्युक्त जमीन पर कब्जा करना चाहते है तथा वादी की काश्त में विधन डालते है । अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर जमीन के पुराने खसरा नम्बर 159 तादादी 8 बीघा 16 बिश्वा, नये खसरा नहम्बर 323 तादादी 2.23 हैक्टर व पुराने खसरा नम्बर 161 तादादी 7 बीघा 17 बिश्वा जिसके नये खसरा नम्बर 395 रकबा 1.96 हैक्टर व पुराने खसरा नम्बर 299 तादादी 7 बिश्वा नये खसरा नम्बर 368 तादादी 0.09 हैक्टर वाके ग्राम देरवाला का खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे । वाद की धारा 1 में दर्ज पुराने खसरा नम्बर व दावे की धारा 3 में वर्णित नये खसरा नम्बर की जमीन को वादी को काश्त करने से तथा इसकी फसल वगैरह लेने से न रोके तथा वादी के कब्जे में विधन न डाले तथा वादी को बेदखल न करें ।

प्रतिवादीगण ने जवाब दावा इस प्रकार पेश किया है कि दावा की धारा 1 में जमीन होना स्वीकार है परन्तु इस धारा में जमीन खसरा नम्बर 159 तादादी 8 बीघा 16 बिस्वां की दावा में चतुर्थसीमायें दर्ज की गई है। वह चतुर्थ सीमाये बिल्कुल गलत दर्ज की गई है। वादी ने दावे में उनवान में अपने आपको रूपाराम का पुत्र बताते हुए तथा दतक पुत्र भी रूपाराम का ही बताया है तथा रूपाराम को ईशरराम का दतक पुत्र बताया है। इस प्रकार दावे के उनवान के अनुसार वादी द्वारा ही अपनी वल्दीयत सही दर्ज नही की गई है इसलिए यह दावा प्रथम दृष्टिया ही खारिज योग्य काबिले है। वादी द्वारा नाजायज तौर से झुठा दबाब डालने के लिए तथा प्रतिवादी को परेशान करने के लिए गलत तौर पर दावा पेश किया गया है। जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावें। तत्पश्चात प्रकरण में तनकियात निर्धारण की गई जो इस प्रकार से है:–

1. आया वर्णित भूमिया साबिक ख.न. 159, 161 व 299 ग्राम देरवाला ईशर हरीजन के खातेदारी की थी एवं आया ईशरराम ने उसके जिवनकाल में ही वादी को उसका गोद पत्र मानकर उसके साथ रहना शुरू कर दिया? भार वादी
2. आया ईशरराम की मृत्यु पर उसकी पत्नी धानड़ी एव वादी खातेदार हुए और उसके पश्चात वादी खातेदार हुआ और आया वादी ही इन भूमियों पर काबिज चला आ रहा है? भार वादी
3. आया प्रतिवादीगण द्वारा अनाधिकार दखलंदाजी की जा रही है एव आया वादी स्थाई निषेधाज्ञा से जारी कराने का अधिकारी है? भार वादी
4. आया खसरा न. 159, 161 पर वादी का कब्जा नहीं है और वादी ने वाद पत्र पर इन भूमियों के पडौसी गलत बताये है? भार प्रतिवादी
5. आया वादी से मृतक ईशरराम ने गोद नही रखा था ओर आया ईशरराम की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नी ने वादी को गोद रखा? भार प्रतिवादी
6. आया वादी की माता धानडी व प्रतिवादी की माता लिछमी संगी बहने थी और ईशरराम की मृत्यु के बाद धानड़ी ने खसरा न. 159 व 299 के लिए प्रतिवादी को देही और तब से प्रतिवादी न. 1 है। बराबर काबिज काश्त है एवं वादी का इन भूमियों पर कब्जा नही रहा? भार प्रतिवादी
7. आया वर्णित भूमि साबिक आ0न0 159 व 299 पर प्रतिवादी न. 1 का प्रतिकूल कब्जा है और प्रतिवादी न. 1 घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी है? भार प्रतिवादी
8. आया प्रतिवादी न. 1 के विरूद्ध वादी ने अन्य वाद संख्या 120/2004 पुराना न. 129/97 संस्थित कर रखा है उसका प्रस्तुत वाद पर क्या असर है? भार प्रतिवादी

Scanned by CamScanner

(11)

9. आया प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम न्यायालय की अनुमति के बिना वाद हेतुक के बिना व शपथ–पत्र के बिना पेश किया गया है। इसका प्रस्तुत वाद पर क्या असर है? भार प्रतिवादी
10. पक्षकार किस सहायता के अधिकारी है?

प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2012 से 2015, प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2029 से 2032, प्रदर्श–3 जमाबन्दी 2033 से 2036, पर्दश–4 जमाबन्दी 2042 से 2045, प्रदर्श–5 जमाबन्दी 2046 से 2049, प्रदर्श–6 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श–8 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–9 गिरदावरी सम्वत 2016–2019, प्रदर्श–10 गिरदावरी सम्वत 2026 से 2029, प्रदर्श–11 गिरदावरी सम्वत 2046 से 2049, प्रदर्श–12 गिरदावरी सम्वत 2044 से 2045 प्रदर्श–13 जमाबन्दी वर्ष 2062 से 2065 उपर्युक्त राजस्व अभिलेख पी.–1 से पी.–13 के अवलोकन से तनकीयात संख्या 1 से 3 साबित होने पर वादी के पक्ष मे निर्णित की जाती है। तनकीयात संख्या 4 से 9 प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध नही करने पर तनकीयात 4 से 9 बहक वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है। उपर्युक्त तनकीयात से प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम सिद्ध नही होने पर खारिज किया जाता है। वाद में वर्णित तथ्यों व प्रतिवादी न. 1 द्वारा प्रस्तुत जवाब का काउन्टर क्लेम में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर समस्त राजस्व रिकार्ड का ध्यान पर्वूक अवलोकन करते हुए बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। जिससे वाद वादी पूर्णतया सिद्ध होने पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि पुराने खसरा न. 159 तादादी 8 बीघा 16 बिश्वा हाल खसरा न. 323 तादादी 2.23 हैक्टर व पुराना खसरा न. 161 तादादी 7 बीघा 17 बिश्वा के हाल खसरा न. 395 रकबा 1.96 हैक्टर व पुराना खसरा न. 299 तादादी 7 बिश्वा के हाल खसरा न. 368 तादादी 0.09 हैक्टर वाके ग्राम देरवाला के खातेदार वादी को प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है कि वे वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि के किसी भी भू–भाग में कोई दखलदाजी व बाधाकारित नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

21.3.18

(अलका विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

Scanned by CamScanner